

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

कौटिल्य नगर, पटना-14.

(द्विबीड़ पद्धति)

फोन नं०- 0612-2223727

फैक्स नं०-0612-2224529

ई०-निविदा सूचना संख्या- 25 / 2021-22

- 1 विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- 2 निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 25-01-2022
- 3 निविदा कागजात प्राप्त करने (डाउनलोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 16-02-2022 से 22-02-2022 को 17:00 बजे अपराह्न तक।
- 4 निविदा जमा करने (अप लोड करने) की अंतिम तिथि एवं समय : दिनांक- 16-02-2022 से दिनांक- 24-02-2022 को 17:00 बजे तक।
- 5 (क) तकनीकी बीड़ खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 25-02-2022 को 16:00 बजे।
(ख) वितीय बीड़ खोलने की तिथि एवं समय : तकनीकी बीड़ का निष्पादन सक्षम प्राधिकार से होने के पश्चात।
(ग) शपथ पत्र मूल में, परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि जमा करने की तिथि, समय एवं स्थान : कंडिका- 42 के अनुसार
- 6 प्री बीड मिटिंग की तिथि, समय एवं स्थान : दिनांक:- 17-02-2022 को 15:00 बजे।
मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना के कार्यालय कक्ष में।
- 7 निविदा पत्र बिक्री का स्थान : www.eproc.bihar.gov.in पर।
- 8 निविदा की वैद्यता अवधि : 120 दिन।
- 9 कार्य का विवरण :-

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्यों अभियोगिता का नाम, राशि (लाख रु० में)	परिमाण विपत्र की राशि (लाख रु० में)	अग्रधन की राशि (रु० में)	निविदा कागजात का मूल्य (रु० में)	निविदा प्रसंस्करण शुल्क रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	पूर्णियाँ जिलान्तर्गत रेल जिला कठिहार रेल पी०पी० बनमंखी के भवन सह बैरेक भवन (मॉडल-३ G+3) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य। (प्रथम पुर्ननिविदा)	पूर्णियाँ	154.58	309200	10000	5900	12 माह
2.	नालन्दा जिलान्तर्गत एकंगरसराय थाना में ०६ एल० एस० आवास का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	राजगीर	65.89	131800	10000	5900	12 माह
3.	पटना जिलान्तर्गत नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल (NMCH) पटना परिसर में टी०ओ०पी० भवन एवं आधारभूत संरचना का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य।	पटना	62.67	125800	10000	5900	12 माह

10. निविदा स्वीकृत करनेवाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता:- सक्षम प्राधिकार
11. कोई भी संवेदक जो केन्द्रीय/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं, परन्तु कार्य का आवंटन आदेश प्राप्त होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. विद्युतीकरण कार्य सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा, विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कार्ड्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।

क०प०ज०.....02 /

13. ऐसे संवेदक निविता में भाग लेने को पाज़ नहीं है। (I) जिनको रंगित (Debar) किया गया है या जिनका नाम काली सूर्यी में तर्ज है, (II) जिन पर निर्मित/निर्माणीन भवनों में पुष्ट्यालय और गठित गल द्वारा मुण्डता की समिति चुटियाँ प्रतिवेदित हो।
14. परिमाण विपक्ष की साथी बाकी गणितीय गणना में परीकृति के परिचात मत/बदल सकती है। तत्त्वज्ञात आधान की चाली भी घट / बदल सकती है। निविता आगंत्य सूचना एवं परिमाण विपक्ष की भाषा खालीतीक है। पार्श्वान्तर आधान की चाली के अन्याय में निविता आगच्छा जाएगी।
15. निविता के तल ई-निविता पद्धति को लातूरास www.eproc.bihar.gov.in पर जिम्मानित किया जाएगा। ई-निविता चालित जानकारी, एम/22, बैंक बॉफ इंडिया बिल्डिंग, ऐड नॉ-२६, श्री कृष्णनगर, पटना-०१ के गुप्तार्थ नंखा -०६१२ २६४६३०६ भी प्राप्त किया जा सकता है।
16. ई-निविता में भाग लेने को स्तरात्मक संवेदकों को ई-प्रोत्यरौपेट के पाण निविता करना होगा। वैभवात्मक पर आवश्यक निविता प्रपत्र उपलब्ध है। इस निविता से उन्हें user Id तथा password मिलेगा। संवेदकों को DSC (Digital Signature Certificates) भी प्राप्त करना होगा। user Id, password, DSC एवं स्तरात्मक संवेदक ई-निविता में पाण हो सकते हैं।
17. निविता प्रपत्र वैभवात्मक पर Tender Free View में उपलब्ध है जिसे इसी वैभवात्मक से ही प्राप्त किया जा सकता है।
18. निविता कागजात भरकर वैभवात्मक पर ही जागा (अपलोड) किया जा सकता है। निविता सुलगाने की जानकारी वैभवात्मक पर ही प्राप्त होगी। निविता संवेदित किरी भी प्रकार का सूचि पन्ने वैभवात्मक पर प्रकाशित किया जाएगा।
19. बीड प्रोसेसिंग फीरा एवं सर्विस टैक्स (आप्रतिवेद्य) का मुगलाना संवेदक अनिवार्य रूप से अन लाइन विधि यथा Internet Payment Gateway (Credit/Debit Cards) अथवा Internet Banking अथवा NEFT/RTGS Challan के माध्यम से B.S.E.D.C. के Bid-Processing Fee Account में Credit किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर निविता गान्य नहीं होगा।
20. निविता खालने के साथ राष्ट्रीय प्रगाण-पन्नों की एवहरतामारित पठनीय छायाप्रति निविता कागजातों के साथ चलन (अपलोड) करना आवश्यक होगा। निविता कागजात का गूल्य (जो किरी भी रिष्टि में लौटायी नहीं जायेगी) किरी चालीयकृत /अनुसूचित बैंक द्वारा निर्गत बैंक ब्लापट के रूप में अध्यात्म-राह-प्रवेश किया गवन निर्माण नियम, पटना के पदनाम से पटना में भुगतेय होना चाहिए।
21. अग्रधन के रूप में छ/पैंच तर्हीय राष्ट्रीय बचत प्रगाण-पन्न/बैंक ब्लापट/चालिं जागा, कियान विकारा पत्र जो संवेदित कार्य प्रगण्डन, कार्यालय का अधिनियम के पदनाम से निविता के बात की तिथि का विधिवत प्रतिज्ञापित किया हो वैद्य होगा अथवा एक करोड़ से अधिक के निविता हैतु बैंक गारंटी जो बीड के मान्य अवधि से ४५ दिनों अधिक अवधि तक के लिए बिहार अवरिथत किरी राष्ट्रीय बैंक या अनुसूचित बैंक से निर्गत हो। (अगर बिहार प्रान्त के बाहर के बैंक से निर्गत बैंक गारंटी दिया जाता है तो एकरासनागा के पूर्ण इसे बिहार अवरिथत किरी बैंक से निर्गत करना जाना अनिवार्य होगा) अग्रधन के रूप में जागा दिये जाने वाले कागजात की राष्ट्रीय प्रति निविता जागा (अपलोड) करना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर निविता गान्य नहीं होगी। अग्रधन (Earnest Money) की साथी के रूप में जागा डिगान्ड ब्लापट के पीछे निविताकार का नाम, निविता सूचना राह तथा गुप्त राह अंकित कर रापर्वित किया जाय।
22. निविता हि-बीड पद्धति से प्राप्त ही जायेगी एवं संवेदित नियम एवं शर्तें जागू रहेगी।
23. कम्पनी एवट के तहत निविता संवेदक को निविता के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
24. कम्पनी एकट अथवा राष्ट्रोदारी अधिनियम के तहत निविता संवेदक के अग्रधन की साथी कम्पनी/फर्म के नाम से ही गान्य होगा। ऐसे गागले में व्यवितरण नाम से अग्रधन की साथी गान्य नहीं होगी।
25. विना कारण बताये निविता या उसके अंश को अर्थीकृत करने/रद्द करने/रथगित/निविता तिथि विरतार करने का अधिकार साथग प्राप्तिकार को सुरक्षित है।
26. संवेदक कार्य में सामुदायित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस गवन निर्माण नियम के मुख्य अग्रिमता द्वारा अनुमोदित विशिष्ट के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
27. गूल निर्माण कार्य के लिए डिफेवट लाईविलिटी परियंत्र ३ (तीन) वर्ष एवं गरमाति कार्य के लिए १ (एक) वर्ष का होगा।
28. कुल प्रावकलित राशि में वारतविक खार्च का एक प्रतिशत राशि श्रिंगों के लिए कोप (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के साथ काट लिया जायेगा। बिहार राकार खान एवं भूत्यवित विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीरा (Seigniorage Fees) एवं रक्यागिरिय (Royalty) की कटीती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्वालोक खान एवं भूत्यवित विभाग में जागा की जायेगी।
29. निविताकार्ता को रालाठ दी जाती है कि अंतिम तिथि के पूर्व ही साथ रहते हुए परिमाण विपक्ष भाउलोड एवं निविता अपलोड कर दें, अन्यथा अंतिम साथ में भूत्यवित भोवा भाइत रहने के कारण निविता नहीं खाले जाने के लिए कोई दावा गान्य नहीं होगा।
30. कार्यादेश के उपरान्त अद्यतन लेभर लाइसेन्स देना अनिवार्य होगा।

Mukesh Kumar Singh

31. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच सरकार से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से अपने खर्च पर अथवा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में करना अनिवार्य है।
32. सभी महत्वपूर्ण कागजात (i) परिमाण विपत्र का मूल्य— बैंक ड्राफ्ट के रूप में (ii) अग्रधन की राशि (iii) आयकर पैन नं0, (iv) GST निबंधन (v) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण—पत्र (vi) जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण—पत्र (कम्पनी एवं तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबन्धक का अलग—अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) अपलोड करना अनिवार्य है तथा (vii) कम्पनी एकट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association एवं Partnership firm/ LLP में Partnership Deed, निविदा के साथ उपर्युक्त सभी अद्यतन प्रमाण— पत्रों की स्वहस्ताक्षरित पठनीय प्रति अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। सिर्फ अपलोड किये गये कागजातों पर विचार किया जायेगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्रों की अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
- नोट:- एकरारनामा के समय अद्यतन जिला पदाधिकारी/ पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण पत्र (कम्पनी एकट के तहत निबंधित कम्पनी के सभी प्रबन्धक का अलग—अलग चरित्र प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप फार्म में सभी पार्टनर का चरित्र प्रमाण पत्र) का अभिप्रापणित छायाप्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा।
33. निविदादाता निविदा में भाग लेने से पूर्व कार्य स्थल का अच्छी तरह निरीक्षण कर लेंगे एवं योजना के क्रियान्वयन के दौरान स्थल जनित समस्याओं एवं स्थानीय समस्याओं से भलिभांति अवगत हो लेंगे, इसके आलोक में अपना दर अंकित करेंगे किसी संवेदक द्वारा इस प्रकार की समस्याओं (यथा श्रमबल, निर्माण सामग्रियों, पहुँच पथ, स्थल पर पानी, कार्य स्थल, प्राक्कलन वैयरी स्थल एवं अन्य कोई स्थानीय समस्या इत्यादि) के निराकरण हेतु अतिरिक्त दावा/क्षतिपूर्ति दावा मान्य नहीं होगा। क्षेत्रीय अभियंताओं के द्वारा इस तरह के दावा को उनके स्तर से ही अस्वीकृत / अमान्य कर दिया जायेगा।
34. निविदाकार द्वारा विगत तीन वर्षों का Financial Statement आयकर विभाग के Site से Watermark के साथ Download किया हुआ अथवा Chartered Accountant द्वारा Financial Statement /Turnover UDIN Certified हो को निविदा के साथ अपलोड करने पर ही उस वर्ष हेतु मान्य माना जायेगा।
35. निविदा में केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्रों में समान प्रकृति के कार्य करने का अनुभव, साक्ष्य सहित संलग्न (अपलोड) करने वाले संवेदक का ही निविदा हेतु गणना जाँच की जायेगी।
36. भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक 566(भ) दिनांक 17.01.2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तदालोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्नप्रकार से लिया जाएगा।
 - a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
 - d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से ऊपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
37. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा।
38. निविदा की विज्ञापित तिथि को यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त करने वाले पदाधिकारी का कार्यालय बन्द हो जाय तब निविदा अगले कार्य दिवस को उसी प्रक्रिया से चार बजे अपराह्न तक प्राप्त की जायेगी।
39. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुर्णनिविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। संबंधित कार्य का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
40. कार्य की पूर्ण जानकारी के लिए कार्यपालक अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल या अधीक्षण अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम अंचल पटना या मुख्य अभियंता बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किसी कार्य दिवस के कार्य अवधि में, सम्पर्क किया जा सकता है।

41.

रांवेदक द्वारा निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र गूल में सागर्हित करना अनिवार्य है-

(क) मेरे/हमारे द्वारा निम्नलिखित कार्य कराये जा रहे हैं :-

क्र० सं०	कार्य का नाम संरक्षा का नाम	एकरारनामा की राशि	एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि	आदतन रिधति	आगरे प्रकारनामा की अवधि के बावर कार्य लम्बित है तो क्या
1	2	3	4	5	6

उपर्युक्त रत्नम् 2 में वर्णित कोई भी कार्य आकारण अर्थात् मेरे / हमारे कारण लम्बित नहीं है।

(ख) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय / धाना में विचाराधीन नहीं है।

(ग) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में रज्ज (Blacklisted) पर्यं विगत मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में रज्ज (Blacklisted) पर्यं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् आकारण कार्य लम्बित नहीं है, कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लम्बित नहीं है तथा एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। मेरे द्वारा निर्मित / निर्माणाधीन भवनों में गुणवत्ता से संबंधित कोई आरोप नहीं है।

(घ) मेरा/हमारा कोई निकट संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के सासुलान पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमण्डल में किसी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीम लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(ङ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात, विवरणी सत्य है।

(च) उपरोक्त कंडिका 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने, अवधा कंडिका 'ख' में रो कोई अभिलेख असत्य, नकली या जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे उपर विधिसम्मत दण्ड, मेरे निवंधन को काली सूची में दर्ज करने, प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

42. ई. निविदा से संबंधित कार्यों के परिमाण-विपत्र का मूल्य तथा विधिवत रूप में अग्रधन की देय राशि एवं शपथ पत्र गूल फा ग में कार्यपालक अभियन्ता, संबंधित कार्य प्रमण्डल/अधीक्षण अभियन्ता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य अंचल, पटना/मुख्य अभियन्ता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना, के लेखा शाखा में, तकनीकी बीड़ खोलने की तिथि एवं मुख्य अभियन्ता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना, नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी।

43. समय तक, जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर निविदा मान्य नहीं होगी। जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर विहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा।

मुख्य अभियन्ता, ~2022

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 25/01/2022,

ज्ञापांक- एच०क्यू- 287

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, परिमाण विपत्र शाखा, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना को परिमाण विपत्र अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, ~2022

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 25/01/2022:

ज्ञापांक- एच०क्यू- 287

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियन्ता, विहार पुलिस भवन निर्माण निगम, कार्य प्रमण्डल- पटना, दरभंगा, मगध कैम्प डेहरी झाँज रोन, पूर्णियाँ, राजगीर, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कियार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, ~2022

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

पटना, दिनांक- 25/01/2022:

ज्ञापांक- एच०क्यू- 287

प्रतिलिपि- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ/नालन्दा एवं पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता, ~2022

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।

✓ Infey ✓ 287 ✓ 25/01/2022 ✓

मुख्य अभियन्ता, ~2022

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना।